न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 82/2010

बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. भंवरलाल पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान निवासी सीसवाली
2. अ0 रजाक पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान निवासी सीसवाली
3. अल्लानूर पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान निवासी सीसवाली
4. गणेशंकर पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
5. मेघराज पुत्र गोबरीलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
6. बजरंगलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
7. राजाराम पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
8. दयाराम पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
9. कन्हैयालाल पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
10. श्रीलाल पुत्र केशरीलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री मनोज कुमार आर्य

वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 20.12.2010

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 353 रकबा 1.52 है0 पैत्रिक है जो जगन्नाथ, रामरतन, रामनारायण, केशरीलाल की विरासत से वादी/प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 को प्राप्त हुई है इस आराजी में अपने 1/2 हिस्से को खातेदार नन्दकिशोर, रामकल्याण, बद्रीलाल व विद्याबाई ने जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र 09.03.2010 को तस्दीक हुआ है प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है शेष 1/2 हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थी प्रतिपक्षी कम 4 ता 10 का हिस्सा है इस प्रकार इस भूमि में प्रार्थी का 7/12 अप्रार्थी गणेशंकर 1/24, मेघराज का 1/24, तथा बजरंगलाल का 1/12 हिस्सा है राजाराम का 1/12, अप्रार्थी दयाराम का 1/24 कन्हैयालाल का 1/24 व श्रीलाल का 1/12 हिस्सा है इसी प्रकार प्रार्थी व प्रोफार्मा प्रतिवादी/प्रतिपक्षी आराजियात को काश्त व उपयोग करते चले आ रहे है

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

उनका हक व हकूक खाते में वर्णित है तथा उसी अनुसार उनके मध्य आराजी का विभाजन होना है। वादी के पूर्वजो के जमाने में आराजी का 1/2 हिस्सा करीमबक्श पुत्र रहीमतुल्ला मुसलमान के रहन था जो उसके जीवनकाल में ही रहन से मुक्त हो गया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रहन स्वतः ही पांच वर्ष की अवधिपूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है लेकिन खाते में उक्त रहन का इन्द्राज को नही हटाया गया इस कारण प्रतिपक्षी कम 1 ता 3 जो करीमबक्श के वारिस है जबरन आराजी खसरा नं0 353 रकबा 1.52 है0 के 1/2 हिस्से पर काश्त व उपयोग करने की धमकी देने लगे है जबकि रहन करीमबक्श के जमाने में ही समाप्त हो गया था करीमबक्श ने भी कभी आराजी काश्त नही की और न कभी आराजी पर उसका कब्जा रहा। खाते में रहन की प्रविष्टी नही हटाने से प्रतिपक्षी कम 1 ता 3 जबरन अनाधिकार यज जानते हुय भी कि उनका आराजी में कोई हक नही है तथा वे खातेदारान मीणा की जमीन को न तो काश्त कर सकते है न रहन कर सकते है न उनकी जमीन में कोई दखलअंदाजी कर सकते है वे जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के काश्त व उपयोग में दखलअंदाजी करने की धमकी देने लगे है अतः अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वे प्रार्थी के काश्त व उपयोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करें न अन्य से करावे तथा प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान प्रोफार्मा प्रतिपक्षीगण कम 4 ता 10 को अपने–अपने हिस्से के अनुसार आराजी काश्त व उपयोग करने दे। अतः प्रतिपक्षी कम 1 ता 3 के विरूद्ध आदेशात्मक एवं निषेधाज्ञात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशयक की जारी फरमायी जावे कि प्रतिपक्षीगण कम 1 ता 3 भवरलाल, अ0 रजाक, अल्लानूर आराजी खसरा नं0 353 रकबा 1.52 है0 ग्राम उदपुरिया में प्रार्थी तथा सहखातेदार प्रतिपक्षी कम 4 ता 10 की काश्त व उपयोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करें न अन्य से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.12.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीकम 4 ता 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की समस्त मद स्वीकार की है तथा निवेदन किया है कि हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी कम 3 की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान को कायम मुकामान करने हेतु निवेदन किया है। मृतक अल्लानूर की मृत्यु के बाद वारिसान निम्नानुसार हैः–

1. मुस्तकीम 2. मोबीना 3. नसीम 4. उरफाना 5. संजीता 6. अफसाना

पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 आराजी खसरा नं0 353 रकबा 1.52 है0 के रेकार्डेड खातेदार है तथा काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी कम 1 ता 3 का नाम केवल राहिन के रूप दर्ज है जिसकी वैधता के संबंध में निर्णय मूल वाद में पारित किया जावेगा। अप्रार्थी कम 1 ता 3 को राहिन के रूप में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही है कि

उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 की आराजी में दखल अंदाजी करें। प्रकरण में संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस दिनांक 28.09.2021 को सुनी गयी। उभयपक्षीय बहस में प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है। प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के तहत अन्य केटेगरी वाला मीणा समुदाय की भूमि पर मुनाफा काश्त नही कर सकता तथा आराजी का रहन, बैचान नही कर सकता। केवल बिल रहन शब्द हटाने से सहवन से 1/2 हिस्सा भूमि करीम बक्श के नाम दर्ज हो गयी। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने रहन की स्वीकृति दी है तथा करीम बक्श के नाम चढने का नामान्तकरण संलग्न नही है तथा अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि अप्रार्थी कम 1 ता 3 आरटी एक्ट 1955 लागू होने के पूर्व से ही आराजी पर काबिज काश्त है तथा खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उभयपक्ष का भी मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दओ को देखना होता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 रेकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी कम 1 ता 3 के खातेदारी अधिकारो के संबंध में निर्णय मूल वाद में लिया जावेगा जब तक अप्रार्थी कम 1 ता 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विवादित आराजी का रहन, बैचान व अन्य किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करें। अतः समस्त पत्रावली व दस्तावेजात तथा सुनी गयी बहस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में जाता है।

2. सुविधा का संतुलन– प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 विवादित आराजीयात में रेकार्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति– यदि अप्रार्थी कम 1 ता 3 आराजी खसरा नं0 353 रकबा 1.52 है0 को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 ता 10 को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी कम 1 ता 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी की भौतिक व राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा उक्त विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व रहन बैचान नही करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण वास्ते चाहने अस्थायी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल(राज०)